



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270280  
CG-DL-E-18022026-270280

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 825]  
No. 825]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

**का.आ. 865(अ).—** केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3898 तारीख 25/08/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में NH53 के कि.मी. 65.755 से कि.मी.77 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०८ नवंबर २०२५" को "प्रतिदिन" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में NH53 के कि.मी. 65.755 से कि.मी.77 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

| राज्य का नाम: उड़ीसा (21)  |                       |                     | जिले का नाम: जगतसिंहपुर (355) |                                          |                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रमिक संख्या<br>1         | सर्वेक्षण संख्या<br>2 | भूमि का प्रकार<br>3 | भूमि की प्रकृति<br>4          | भूमि का क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)<br>5 | भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम<br>6                                                                                                    |
| तालुक का नाम: कुजंग (2936) |                       |                     |                               |                                          |                                                                                                                                             |
| गांव का नाम: उदयबट         |                       |                     |                               |                                          |                                                                                                                                             |
| 1                          | १४६७                  | निजी                | पतित                          | 0.0103197                                | द्रौपदी शर्मा डबल्यू/ओ बैद्यनाथ शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, कासीनाथ शर्मा, श्रीमती सीता शर्मा, रुकमणी शर्मा, उमा शर्मा एंस्/डी/ओ बैद्यनाथ शर्मा. |
| 2                          | १४७३/१८२८             | निजी                | घराबरी                        | 0.0122622                                | मुकेश चंद्र साहू एंस्/ओ सराता कुमार साहू                                                                                                    |
| कुल योग                    |                       |                     |                               | 0.0225819                                |                                                                                                                                             |

[फा. सं. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Kujanga/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

**S.O. 865(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3898 Dated:25/08/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 65.755 to Km. 77 in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in "Pratidin" and "Times of India" both dated 08.11.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 in the stretch of land from Km. 65.755 to Km. 77 in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA

| State: ODISHA      |                    |              | District: Jagatsinghpur |                       |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sl. No.            | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land          | Area<br>(in Hectares) | Name of Land<br>Owner/Interested<br>Person                                                                                                                               |
| 1                  | 2                  | 3            | 4                       | 5                     | 6                                                                                                                                                                        |
| Taluk: Kujang      |                    |              |                         |                       |                                                                                                                                                                          |
| Village: Udayabata |                    |              |                         |                       |                                                                                                                                                                          |
| 1                  | 1467               | Private      | Patita                  | 0.0103197             | Draupadi Sharma W/o<br>Baidyanath Sharma,<br>Biswanath Sharma<br>,kasinath Sharma ,<br>Srimati Sita Sharma,<br>Rukmani Sharma<br>,Uma Sharma S/D/O<br>Baidyanath Sharma. |
| 2                  | 1473/1828          | Private      | Gharabari               | 0.0122622             | Mukesh Chandra<br>Sahoo s/o Sarata<br>Kumar Sahoo                                                                                                                        |
| <b>Total</b>       |                    |              |                         | <b>0.0225819</b>      |                                                                                                                                                                          |

[F. No. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Kujanga/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director